

**Govt. of National Capital Territory of Delhi**  
**Department of Food Supplies and Consumer Affairs**  
**K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002**  
**(Coordination Branch)**

No. F.3 (90)/DLA/Coord/F&S/2023/155

Dated: 12.12.2023

To,

The Dy. Secretary (Question & Committee),  
Delhi Legislative Assembly,  
Old Secretariat,  
Delhi-110054

Sub: - Delhi Legislative Assembly Un-starred Question No. 50 asked by Sh. Mohan Singh Bisht, MLA due for answer on 15/12/2023.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,



(L.K. Gautam)  
Asstt. Commissioner, F&S

No. F.3 (90)/DLA/Coord/F&S/2023/155

Dated: 12.12.2023

Copy for information to:

The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred Question of distribution of the House.

**खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
के-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली**

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 50

दिनांक :- 15/12/2023

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

| क्र.सं | प्रश्न  | उत्तर   |
|--------|---|---|
| क)     | क्या यह सत्य है कि पिछले कई वर्षों से खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा राशन कार्ड में लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं; | नहीं, राशन कार्ड में लोगों के नाम जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है। राशन कार्ड में लोगों के नाम पहले आओ पहले पाओ (FIFO) आधार पर जोड़े जा रहे हैं। |
| ख)     | क्या यह सत्य है कि राशन कार्ड धारकों के यूनिट जान-बूझकर घटा दिए गए हैं;   | नहीं, भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लिए राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गयी है। जिसे घटाया नहीं जा सकता।                             |
| ग)     | यदि हाँ, तो उनके यूनिट कब तक फिर से होदे जायेंगे; और  | उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।   |
| घ)     | वन नेशन वन राशन के आधार पर बने राशन कार्ड से राशन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ?                                    | दिल्ली में वन नेशन वन राशन के आधार पर बने राशन कार्ड से लाभार्थियों को राशन दिया जा रहा है।   |



**Secretary-Cum-Commissioner**  
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate  
New Delhi- 110002